



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकएफ.2()परावि/प्रशा.1/वि.अ./संस्था/स्थाना/पदस्था/एपीओ/2018/पार्ट-4/2657 जयपुर,दिनांक:-31.8.2018

—: आदेश :-

निम्नलिखित विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर किये जाते हैं:-

क्र.स.	नाम विकास अधिकारी सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती	कहां से (पं.स.)	कहां को (पं.स.)	विशेष विवरण
1	कुशलेश्वर सिंह	देवली (टोंक)	बारां (बारां)	रिक्त पद पर
2	तनुराम	रायपुर (पाली)	कोटडी (भीलवाडा)	रिक्त पद पर
3	सुनिता परिहार	रायपुर (भीलवाडा)	गडरारोड (बाडमेर)	रिक्त पद पर
4	रमेश कुमार धनदे	चिडावा (झुन्झुनू)	राजगढ (चूरु)	रिक्त पद पर
5	सुमेर सिंह	चितलवाना (जालौर)	कुचामनसिटी (नागौर)	रिक्त पद पर
6	प्रेमराज मीणा	मौलासर से चूरु स्थानान्तरणाधीन	निरस्त कर यथावत मौलासर	-
7	हरिराम	घाटोल (बांसवाडा)	चूरु (चूरु)	रिक्त पद पर
8	हरिकेश मीणा	सज्जनगढ (बांसवाडा)	घाटोल (बांसवाडा)	श्री हरिराम के स्थान पर
9	हनुवीर सिंह	रामसर (बाडमेर)	बांसवाडा (बांसवाडा)	रिक्त पद पर
10	अर्जुन सिंह	सांचौर (जालौर)	रामसर (बाडमेर)	श्री हनुवीर सिंह के स्थान पर
11	सत्यनारायण सैनी	आदेशों की प्रतीक्षा में	भूपालसागर (चित्तौडगढ)	रिक्त पद पर
12	धीरज कुमार	शाहबाद (बारां)	सांचौर (जालौर)	अर्जुन सिंह के स्थान पर
13	पप्पूलाल मीणा	नैनवां (बून्दी)	पीपलखूट (प्रतापगढ)	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा के स्थान पर
14.	जगदीश प्रसाद शर्मा	पीपलखूट (प्रतापगढ)	कुशलगढ (बांसवाडा)	रिक्त पद पर
15.	रमेश चन्द मीणा	बून्दी (बून्दी)	झल्लारा (उदयपुर)	रिक्त पद पर
16.	नाहर सिंह मीणा	आनन्दपुरी (बांसवाडा)	वैर (भरतपुर)	रिक्त पद पर
17	मनोज कुमार	मौलासर (नागौर)	राजीविका में प्रतिनियुक्ति पर	-
18	अनुपमा सक्सैना	आदेशों की प्रतीक्षा में	राजीविका में प्रतिनियुक्ति पर	-
19	योगेश कुमार मीना	आदेशों की प्रतीक्षा में	राजीविका में प्रतिनियुक्ति पर	-
20	रमणिका कौर	आदेशों की प्रतीक्षा में	राजीविका में प्रतिनियुक्ति पर	-
21	रिंकू मीणा	आदेशों की प्रतीक्षा में	राजीविका में प्रतिनियुक्ति पर	-
22	नीरज शर्मा	आदेशों की प्रतीक्षा में	राजीविका में प्रतिनियुक्ति पर	-
23	वैभव अरोडा	आदेशों की प्रतीक्षा में	राजीविका में प्रतिनियुक्ति पर	-
24	प्रियंका मीणा	आदेशों की प्रतीक्षा में	राजीविका में प्रतिनियुक्ति पर	-

उक्त विकास अधिकारी अपने पद का कार्यभार विभागीय परिपत्र दिनांक 15.7.2014 के क्रम में पंचायत समिति में पदस्थापित अधिकारियों की वरियता के क्रम में संभलाकर तत्काल अपनी उपस्थिति नव पदस्थापित स्थान पर प्रस्तुत करेंगे। जिस अधिकारी के स्थान पर किसी अन्य अधिकारी का पदस्थापन कर दिया गया है परन्तु उनका पदस्थापन स्थान आदेश में अंकित नहीं है तो ऐसे अधिकारी प्रतिक्रियात्मक रूप से आदेशों की प्रतीक्षा में अपनी उपस्थिति विभागीय मुख्यालय पर प्रस्तुत करेंगे।

क्रम संख्या 17 से 24 की सेवायें राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद को प्रतिनियुक्ति की निम्न शर्तों के अध्यक्षीन सौंपीं जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी उपस्थिति मिशन निदेशक, राजस्थान राज्य आजीविका विकास परिषद को प्रस्तुत करेंगे:-

1. विभाग को आवश्यकता होने पर प्रतिनियुक्ति कभी भी समाप्त की जा सकेगी।
2. विभाग में पुनः लौटने पर मूल पद के वेतनमान/भत्ते नियमानुसार देय होंगे।
3. विभागीय नियुक्ति आदेश (जिसके द्वारा सम्बन्धित अधिकारी को नियुक्ति दी गयी है) में उल्लेखित शर्तें यथावत रहेंगी।

4. यह प्रतिनियुक्ति वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1(47)वित्त/गुप-2/82 दिनांक 22.2.86 (समय समय पर यथासंशोधित) में वर्णित शर्तों के अधीन रहेगी।
5. यह प्रतिनियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिये है, जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकेगा।
6. प्रतिनियुक्ति पर सेवायें लेने वाला विभाग इस सम्बन्ध में नियमानुसार अन्य विभागों यथा महालेखाकार इत्यादि को स्वयं के स्तर से सूचना प्रेषित करेंगे।

उपरोक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। जिन अधिकारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक कारणों से किया गया है उन्हें नियमानुसार यात्राभत्ता एवं योगकाल देय होगा।



(दिनेश कुमार जांगिड)
संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्राविपरा एवं राज्य मिशन निदेशक, राजीविका परियोजनायें, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवम् आयुक्त पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, महानरेगा, राजस्थान जयपुर।
6. मुख्य परिचालन प्रबन्धक, राजीविका परियोजनाएँ, राजस्थान जयपुर।
7. महाप्रबन्धक (प्रशासन), राजीविका परियोजनाएँ, राजस्थान जयपुर।
8. संभागीय आयुक्त, सम्बन्धित।
9. जिला कलेक्टर, सम्बन्धित।
10. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सम्बन्धित।
11. विकास अधिकारी पंचायत समिति सम्बन्धित।
12. एसीपी मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
13. सम्बन्धित अधिकारी को पालनार्थ।
14. आदेश पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)